कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी रा0 एवं भू अर्जन अधिकारी, भीकनगांव

क्रमांक/ 3238 /री–1/2018 भीकनगांव,दिनांक 25/09/2018

प्रति,

आयुक्त,
जनसम्पर्क विभाग,
म0प्र0भोपाल ।

विषयः– भू–अर्जन अधिनियम –2013 की धारा–11(1) के तहत जारी प्रारंभिक अधिसूचना का राजपत्र में प्रकाशन बाबत्।

विषयान्तर्गत निवेदन है कि इस कार्यालय के राजस्व प्रकरण क्रमांक 06/ए–82/2017–18 मे तहसील भींकनगांव के ग्राम भातलपुरा ,जिला खरगोन की निजी भूमि क्षेत्रफल 0.550 हेक्टेयर के भू–अर्जन हेतु भूमि अर्जन,पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013(क्रमांक –30 सन् 2013)की धारा–11 के तहत जारी प्रारंभिक अधिसूचना की चार प्रतियॉ पत्र के संलग्न प्रेषित है।

कृपया संलग्न प्रारंभिक अधिसूचना को इस क्षेत्र के दो समाचार पत्रो में प्रकाशित कराने के साथ ही उक्त प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन किन–किन समाचार पत्रो में किया जा रहा है, की जानकारी एवं किन समाचार पत्रो में प्रकाशित की गई अधिसूचना की प्रति प्रकाशन उपरान्त इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

संलग्नः– चार प्रति

अनुविभागीय अधिकारी,रा0
एवं भू–अर्जन अधिकारी,
भीकनगांव, जिला–खरगोन

क्रमांक/ 3239 /री–1/2018 भीकनगांव,दिनांक 25/09/2018

प्रतिलिपि :–

1– कलेक्टर महोदय(भू–अर्जन शाखा)जिला खरगोन की ओर प्रारंभिक अधिसूचना की प्रति सह सूचनार्थ प्रेषित है।

2– जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी,जिला सूचना एवं विज्ञान केन्द्र कलेक्टोरेट खरगोन की ओर संलग्न प्रारंभिक अधिसूचना को समुचित सरकार की वेबासाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित है।

3– कार्यपालन यंत्री,जल संसाधन संभाग,खरगोन की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

4– तहसीलदार भीकनगांव की ओर भेजकर लिखा जाता है कि उक्त प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन उपखंड कार्यालय भीकनगांव,तहसील कार्यालय भीकनगांव, जनपद कार्यालय भीकनगांव तथा संबंधित ग्राम एवं ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर चस्पा किया जाकर तामिली प्रतिवेदन इस कार्यालय को तत्काल भिजवाये।

5– माल जमादार कलेक्टोरेट खरगोन की ओर संलग्न प्रारंभिक अधिसूचना सूचना पटल पर चस्पा कर तामिली प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी,रा0
एवं भू–अर्जन अधिकारी,
भीकनगांव, जिला–खरगोन

कार्यालय कलेक्टर,जिला खरगोन एवं समुचित सरकार, म.प्र.शासन,राजस्व विभाग

//प्रारंभिक अधिसूचना//

[भूमि अर्जन, पुंनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक–30 सन् 2013) की धारा 11(1) के अन्तर्गत]

कमांक/318/भू–अर्जन/2018 खरगोन,दिनांक 18/09/2018

चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची (1) के खाने 1 से 4 में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने 6 में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची (2) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके व्दारा अनुसूची(1) के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सबंध में उक्त धारा–12 व्दारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

प्रस्तावित '' **रोशिया तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण** '' की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से अधिनियम के अध्याय–2(अ) की धारा–4 .– सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन एवं अन्य उपबन्धो से छुट प्रदान की गयी है जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है । इस कारण धारा–11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नही है।

–: अनुसूची (1) :–

जिला	तहसील	ग्राम/ नगर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में)	धारा–12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
खरगोन.	भीकनगांव	भातलपुरा	0.550	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग,खरगोन	'' रोशिया तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण ''

–: अनुसूची (2) :–

रोशिया तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण ''के अन्तर्गत. ग्राम– भातलपुरा की प्रभावित निजी भूमि का विवरण

सर्वे नंबर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में)
1	2
299/1	0.550

नोटः–भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री,जल संसाधन संभाग,खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(शशि भूषण सिंह)
कलेक्टर एवं समुचित सरकार,
म.प्र शासन,राजस्व विभाग
जिला खरगोन (म.प्र.)